न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारी: अतुल प्रकाश, IAS

प्रकरण संख्या: 28/2019

उनवान

विक्रमसिंह राव पिता श्री कालुसिंह राव जाति राव निवासी डैयाना तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा।

—: वादी

बनाम

(1) हरिसिंह राव पिता श्री कालुसिंह राव जाति राव निवासी डैयाना तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा।
(2) लालसिंह राव पिता श्री कालुसिंह राव जाति राव निवासी डैयाना तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा।
(3) मनोहरसिंह राव पिता श्री कालुसिंह राव जाति राव निवासी डैयाना तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा।
(4) नरेन्द्रसिंह राव पिता श्री कालुसिंह राव जाति राव निवासी डैयाना तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा।
(5) गजेन्द्रसिंह राव पिता श्री कालुसिंह राव जाति राव निवासी डैयाना तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा।
(6) तहसीलदार, तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा।

—: प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राज0 काश्तकारी अधिनियम एंव 136— भू—राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक: 22.01.2021

वादी की ओर से प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि यह कि वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 01 से 05 के संयुक्त स्वामित्व व आधिपत्य की कृषि भुमि खाता संख्या 154 (नया) 23, 24 (पुराना) की कुल किता 23 रकबा 2.73 हे0 गांव डैयाना में स्थित होकर वादी एवं प्रतिवादी के पिता की वंशावली निम्नानुसार है:—

कालुसिंह राव (फौत)

हरिसिंह | लालसिंह | गोवर्धनसिंह | मनोहरसिंह | नरेन्द्रसिंह | गजेन्द्रसिंह

वादी के पिता की मृत्यु उपरान्त उनके 6 उत्ताधिकारी हरिसिंह, लालसिंह,गोरर्धनसिंह, मनोहरसिंह, नरेन्द्रसिंह, गजेन्द्रसिंह हुये। जिस कारण वादी के पिता की उक्त भुमि के संयुक्त रूप से मालिक काबिज स्वामी है। वादी की उपरोक्त भुमि वादी एवं प्रतिवादी के नाम राजस्व रेकार्ड दर्ज है तथा वादी के पिता कालुसिंह राव की मृत्यु हो चुकी है व वादी के पिता की मृत्यु उपरान्त उक्त भुमि का वादी एवं प्रतिवादीगण उपयोग उपभोग करता चले आ रहे है। नामान्तरण के दौरान उक्त भुमि मे वादी का नाम गोवर्धनसिंह राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया गया है जबकि वादी का वास्तविक नाम विक्रमसिंह है। वादी के अन्य समस्त दस्तावेज यथा मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, वादी के पुत्र के आधार कार्ड मे पिता का नाम के स्थान पर वादी का वास्तविक नाम विक्रमसिंह ही अंकित है और वादी के अन्य समस्त दस्तावेजो मे भी वादी का नाम विक्रमसिंह ही दर्ज रिकार्ड है। वादि को उक्त त्रुटी की जानकारी होते ही राजस्व अधिकारियो से निवेदन किया परन्तु उक्त त्रुटी को दुरस्त नही किया जा रहा है। जिस वजह से मौके पर अन्य लोगो द्वारा वादि की भुमि हडपने के प्रयास किये जा रहे है। वादी की भुमि को उक्त राजस्व रेकार्ड में हुई त्रुटी को दुरस्त कर वादी का वास्तविक नाम विक्रमसिंह दर्ज रेकार्ड करना आवश्यक है। इस हेतु अन्तर्गत धारा 136 L-R- Act- के तहत वाद पेश है तथा उक्त भुमि मे वादी का नाम दुरस्त कर वादी को उक्त सम्पूर्ण खाते में प्रतिवादीगण के समान काश्तकार खातेदार घोषित किया जाना आवश्यक होने से धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एंव 136 भू—राजस्व अधिनियम के तहत् वाद प्रस्तुत हुआ।

वादी की ओर से प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण के नाम सम्मन जारी किये जाने पर प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 की ओर से जवाब प्रस्तुत होकर वादी के वाद को स्वीकार किया गया। प्रकरण में भूमिधारी तहसीलदार, गढ़ी से वस्तुस्थिति की [illegible] जाने पर तहसीलदार गढ़ी द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी [illegible] का नाम गोवर्धनसिंह अंकित किया हुआ है। प्रार्थी के नाम जारी [illegible] प्रार्थी का नाम गोवर्धनसिंह है। विरासती नामान्तरकरण संख्या 283 दिनांक 5.12.2008 के [illegible] में भी प्रार्थी का नाम गोव[illegible] अंकित किया जाकर संयुक्त खातें में भी प्रार्थी का नाम गोवर्धनसिंह अंकित है। बड़ोदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा वजवाना के परिचय—पत्र में गोवर्धनसिंह पिता कालुसिंह दर्ज किया हुआ है। बड़ोदा राजस्थान

Signature Not Verified
Digitally signed by Atul Prakash
Date: 2021.03.16 11:47:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

ग्रामीण बैंक शाखा वजवाना से आरित किये गये के0सी0सी0 ऋण में भी प्रार्थी द्वारा गोवर्धनसिंह के नाम से हस्ताक्षर किये गये है। राजकीय उच्च माध्ययमिक विद्यालय सागवाड़िया के प्रवेश रजिस्टर कमांक 412 पर गोवर्धनसिंह अंकित है। प्रार्थी के नाम जारी दस्तावेजात की जांच करने पर कोई भी दस्तावेज गोवर्धनसिंह पिता कालुसिंह के बजाय विक्रमसिंह पिता कालूसिंह के नाम के नही मिलें। विरासती नामान्तरकरण दर्ज करते हुए राजस्व रेकार्ड में कोई त्रुटि नही होना अवगत कराया। तत्पष्चात् प्रकरण में बहस सुनी गई।

वादी की ओर से प्रस्तुत वाद, संलग्न मौजा डैयाना की खाता संख्या 154 (नई) 23, 24 की जमाबन्दी संवत 2069 से 2072 में दर्ज नाम गोवर्धनसिंह, स्वंय के नाम जारी आधार कार्ड में दर्ज नाम विक्रमसिंह, पत्नि के नाम जारी आधार कार्ड में पति के रूप में दर्ज नाम विक्रमसिंह, स्वंय के बच्चो के नाम जारी शिक्षण प्रमाण–पत्र एंव अन्य दस्तावेजात् में पिता के रूप में दर्ज नाम विक्रमसिंह अंकित है परन्तु अप्रार्थी संख्या 06 भूमिधारी तहसीलदार, गढ़ी की ओर से प्रस्तुत जवाब का अवलोकन करने पर पाया गया कि पटवार हल्का सागवाड़िया के मौजा डैयाना खाता संख्या की खाता संख्या 154 (नई) 23, 24 की जमाबन्दी संवत 2069 से 2072 में वर्णित संयुक्त खातेदारान् के नाम के साथ वादी विक्रमसिंह का नाम पूर्व से गोवर्धनसिंह ही दर्ज किया हुआ है जो सही है।

अतः प्रतिवादी संख्या 06 भूमिधारी तहसीलदार, गढ़ी की रिपोर्ट के अनुसार वादी का वाद का अस्वीकार किया जाकर वादी के विरूद्व निर्णित किया जाता है।

(अतुल प्रकाश)IAS
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

प्रतिवादी संख्या 06 भूमिधारी तहसीलदार, गढ़ी की रिपोर्ट के अनुसार वादी का वाद का अस्वीकार किया जाकर वादी के विरूद्व निर्णित किया जाकर इस आशय की डिकी पृथक से जारी की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 22.01.2021 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Atul Prakash
Date: 2021.03.16 11:47:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

डिक्री व मुकदमे की इब्तजाई

(आ. 20 नियम 17 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी, मुकाम : गढ़ी व इजलास : अतुल प्रकाश (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः 28/2019

उनवान

विक्रमसिंह राव पिता श्री कालुसिंह राव जाति राव निवासी डैयाना तहसील गढी जिला बांसवाडा।

—: वादी

बनाम

(1) हरिसिंह राव पिता श्री कालुसिंह राव जाति राव निवासी डैयाना तहसील गढी जिला बांसवाडा।
(2) लालसिंह राव पिता श्री कालुसिंह राव जाति राव निवासी डैयाना तहसील गढी जिला बांसवाडा।
(3) मनोहरसिंह राव पिता श्री कालुसिंह राव जाति राव निवासी डैयाना तहसील गढी जिला बांसवाडा।
(4) नरेन्द्रसिंह राव पिता श्री कालुसिंह राव जाति राव निवासी डैयाना तहसील गढी जिला बांसवाडा।
(5) गजेन्द्रसिंह राव पिता श्री कालुसिंह राव जाति राव निवासी डैयाना तहसील गढी जिला बांसवाडा।
(6) तहसीलदार, तहसील गढी जिला बांसवाडा।

—: प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राज0 काश्तकारी अधिनियम एंव 136— भू—राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांकः 22.01.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वादी अभिभाषक पेश होकर हुक्म दिया जाता हैं कि प्रतिवादी संख्या 06 भूमिधारी तहसीलदार, गढ़ी की रिपोर्ट के अनुसार वादी का वाद का अस्वीकार किया जाकर वादी के विरूद्व निर्णित किया जाकर इस आशय की डिक्री जारी की जाती है।

नोज शून्य मुबलिग शून्य बाबत् शून्य खर्चा इस मुकदमें के मय सुद व शरह शून्य प्रतिशत सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक शून्य का अदा करे।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत के आज दिनांक 22.01.2021 को जारी की गई।

(अतुल प्रकाश)IAS
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

मुदई	रूपया पैसा	मुद्दवायलह	रूपया पैसा
स्टाप की अरजी दावा	शून्य	स्टाम्प वकालतनामा	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य
स्टाम्प वहज सबुत	शून्य	मेहनतनामा वकील	शून्य
मेहनतनामा वकील	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	बबत इजराय हुक्मनामा	शून्य
बबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	मुतफरीक	शून्य
मुतफरीक	शून्य		शून्य
कुल	शून्य	कुल	शून्य

Signature Not Verified

Digitally signed by Atul Prakash
Date: 2021.03.16 11:47:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

Scanned by CamScanner